न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 428/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– चेतनलाल पुत्र घेवरचंद 2– सुमेरमल पुत्र घेवरचंद दोनो जातियान सेवग, निवासीगण ग्राम ओसियां, तहसील ओसियां जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30–5–2016 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2011 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री दिवाकर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री ओमप्रकाश चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पा0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 11–10–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थीगण की सम्मलित खातेदारी की भूमि खेत खसरा नंबर 1312 रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा सरहद मौजा ओसियां मे आया हुआ है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है परंतु वक्त सेटलमेंट अधिकारियो की भूल व लापरवाही से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे उक्त खसरा का रकबा केवल 16 बीघा 17 बिस्वा ही दर्ज किया गया, जो लिपिकीय भूल होने से उक्त त्रुटि को दुरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2016 के द्वारा अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिये जाने पर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का गलत विवेचन करते हुए खारीज किया है जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली तारीख पेशी 6–5–2016 को मुकर्रर थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को

सूचना दिये बिना ही पत्रावली को लोक अदालत मे रखते हुए दिनांक 30–5–2016 को एकतरफा सुनवाई करते हुए आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार ओसियां की रिपोर्ट जो दिनांक 4–11–2015 प्रस्तुत हुई थी जिसमे भी यही उल्लेख किया हुआ है कि ग्राम रेलागढ के खसरा नंबर 1312 रकबा 16.17 बीघा भूमि खतौनी अनुसार दर्ज है जबकि मौका व नक्शा अनुसार यह रकबा 42.10 बीघा होता है अर्थात मौका एवं रेकर्ड की स्थिति अनुसार 25.13 बीघा भूमि का अंतर है जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु खसरा नंबर 1406 रकबा 250.11 बीघा है जो गै0मु0मगरा वन विभाग के खाते मे दर्ज है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस रिपोर्ट पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2016 को निरस्त करने तथा अपीलाटंगण द्वारा प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांटगण को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये किसी प्रकार की राहत प्रदान नही की जा सकती इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है जो विधिवत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय आदि का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार ओसियां से मोके के संबंध मे वस्तुस्थिति रिपोर्ट तलब की गई, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है । तहसीलदार ओसियां की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण के खाते मे खतौनी अनुसार केवल 16.17 बीघा भूमि दर्ज है जबकि मौका व नक्शा अनुसार यह रकबा 42.10 बीघा होना बताया है तथा उक्त कमी रकबे 25.13 बीघा की क्षतिपूर्ति खसरा नंबर 1406 रकबा 250.11 बीघा जो राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0मगरा वन विभाग के खाते मे दर्ज है, से क्षतिपूर्ति करना संभव नही बताया है ।

ऐसे मे तहसीलदार ओसियां की रिपोर्ट मे प्रस्तावित खसरा नंबर 1406 की भूमि जो वन विभाग के नाम दर्ज है, जिसे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये अपीलांटगण के पक्ष मे दर्ज करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारीज करने किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30—5—2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 11—10—2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर